न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 10/प्रा.पत्र/2024 (GCMS No. 2024/16)	30.01.2024	06.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

ग्यारस्या आ. माधो जाति रेगर नि. गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया
(मृतक जर्ये कायम मुकाम) :–

1. रामदेव पुत्र स्व.ग्यारस्या जाति रेगर नि. गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया
2. शान्ति पुत्री स्व.ग्यारस्या जाति रेगर नि. तलवास, तहसील नैनवां
3. रोशनबाई पुत्री स्व.ग्यारस्या जाति रेगर नि. बालून्दा, तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी ग्यारस्या को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 923/4 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 10/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/38 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 2196 दिनांक 11.07.24 के

जिला कलेक्टर, बून्दी

अनुसार अप्रार्थी मृतक ग्यारस्या के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के वारिसान के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि ग्यारस्या आ. माधो कौम रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को दिनांक 10.11.1975 को भूमि खसरा सं. 923/4 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। भू प्रबंध विभाग के नकल मिलान क्षेत्रफल दिनांक 1.4.1995 से 31.03.2015 के अनुसार खसरा सं. 923 मिन के नये खसरा नं. 442, 443, 445 बने है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गेण्डोलीखुर्द की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि ख.सं.442 रकबा 1.00 हैक्टेयर, ख.सं.443 रकबा 0.12 हैक्टेयर ख.सं. 445 रकबा 0.24 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर पर अप्रार्थी ग्यारस्या पि. माधो गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 19.10.2020 अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है।

यहां उल्लेखनीय है कि आवंटी मृतक ग्यारस्या के कायम मुकाम बनाये जाने हेतु उनके वारिसान के संबंध में तहसीलदार रायथल से सूचना चाही गई। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट कायम मुकामान को वर्तमान निवास के पते पर नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आये। इससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्यारस्या आ. माधो कौम रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 923/4 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द (हाल ख.स.442 रकबा 1.00 हैक्टेयर, ख.सं.443 रकबा 0.12 हैक्टेयर ख.सं. 445 रकबा 0.24 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर वाके ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया) दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी